



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी प्रेमा देवी
भवन सं० ०४ आवास विकास कालोनी
मिर्जापुर १

पत्रांक 360

नि० प्र० 2016/75

दिनांक 19-7-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या ०४ योजना ३३२०१० नगर मिर्जापुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०८.०७.२०१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या १२/३४७
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 19-7-2016 से 18-7-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्पटी हेतु 37.30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 41.54 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

०/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 360
प्रतिलिपि :-

/ उपरोक्त

तददिनांक 19-7-2016

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा जारी
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय आवास विकास कालोनी, मिर्जापुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा जारी
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी उमा त्रिपाठी

482, इमरोली योजना

मिर्जापुर

पत्रांक 339

नि० प्र० 2016/24

दिनांक 30-6-2016

भूखण्ड/भूखण्ड संख्या/482 योजना इमरोली योजना नगर मिर्जापुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 12-6-2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 30-6-2016 से 29-6-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 77.82 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 203.49 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 339
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 30-6-2016

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वागणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय मिर्जापुर नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वागणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
29/6/16



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी गोपाल जी विश्वकर्मा
इकिन गंज, पेहली का चौराहा
जिला - मिर्जापुर

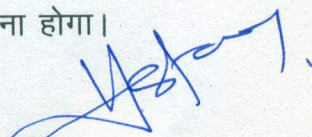
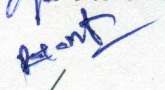
पत्रांक 505

नि० प्र०

दिनांक 10-11-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस-संख्या 4.83 योजना डमरौली नगर मिर्जापुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 142/486
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 10-11-2016 से 9-11-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 63.00 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये..
197.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 34
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक


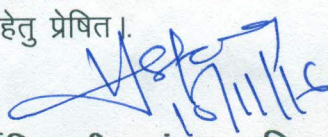
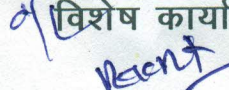
पृ० सं० 505

/उपरोक्त

तददिनांक 10-11-2016

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय जवाहर नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक




उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-तृतीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी राहुल कुंज
म० न० 62 आवास विकास कॉलोनी,
मिर्जापुर

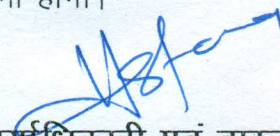
पत्रांक 331

नि० प्रा० 2016/65

दिनांक 24-6-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 62 योजना इमरौली योजना नगर मिर्जापुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 76/289
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 24-6-2016 से 23-6-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्ढी हेतु 38.70 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये
42.66 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

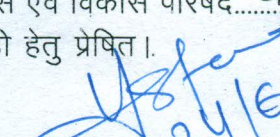
पृ० सं० 331

/उपरोक्त

तददिनांक 24-6-2016

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद मिर्जापुर
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय पंचाहर नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / ~~श्री~~ श्री

राम च्यारे सिंह
531 आवास विकास कालोनी डमरौली योजना
मिर्जापुर

पत्रांक 341

नि० प्र० 2016/23

दिनांक 30-6-2016

भूखण्ड संख्या / ~~खण्ड संख्या~~ 531 योजना डमरौली योजना नगर मिर्जापुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 12-6-2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 30-6-2016 से 29-6-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 78.88 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 161.99 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 341
रतिलिपि :-

/ उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 30-6-2016

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद मिर्जापुर

स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबन्धक कार्यालय मिर्जापुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद मिर्जापुर

गेक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी रमा कान्त त्रिपाठी
251 आवास विकास कालोनी
मिर्जापुर

पत्रांक 197

नि० प्र० 2017/48

दिनांक 7-6-2017

भवन/भूखण्ड-संख्या/खसस-संख्या 251 योजना इमरीली नगर मिर्जापुर
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 73/727
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 7-6-2017 से 6-6-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ~~मम्मी~~ हेतु 38.70 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये
44.89 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 197
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त

तददिनांक 7-6-2017

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बाराबंसी
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय जवाहर नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बाराबंसी
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक